

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 146/2011 सत्रवाद

संस्थित दिनांक 04-07-2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद चौक जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हुकमसिंह जाटव उम्र 55 वर्ष।
2. जसवंत जाटव पुत्र हुकमसिंह.....**फौत**
3. पंजाब सिंह उर्फ पूता पुत्र जसवंतसिंह जाटव  
उम्र 25 वर्ष।
4. नवलसिंह पुत्र जसवंत जाटव उम्र 27 वर्ष।
5. हीरासिंह पुत्र जसवंत जाटव उम्र 30 वर्ष।
6. अतरसिंह पुत्र विजयराम जाटव उम्र 58 वर्ष।
7. सुरेशचन्द्र पुत्र विजयराम जाटव उम्र 55 वर्ष।
8. धारासिंह उर्फ पटेल पुत्र अतरसिंह जाटव उम्र  
35 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम चिनकू पुरा थाना  
गोहद चौक जिला भिण्ड म0प्र0।

.....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0कं0 402/2011 इ0फौ0  
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्र0 146/2011

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।  
अभियुक्तगण द्वारा श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता।

---

//नि - र्ण - य//

//आज दिनांक 04-11-2015 को घोषित किया गया//

01. आरोपीगण का विचारण धारा 148, 307, 307/149 के आरोप के संबंध में  
किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 15-11-10 को करीब 9:00 बजे स्थान

अतरसिंह जाटव के मकान के सामने चिनकूपुरा में सह आरोपीगण राजेन्द्र, जसवन्त, नवलसिंह, पूता, सुरेश, अतरसिंह, धारासिंह विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहे जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या का प्रयास करना था सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा करने का अपराध कारित किया और उस समय वह घातक अस्त्र 12 बोर बन्दूक जिसे आकामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य था से सज्जित रहे। उन पर यह भी आरोप है कि उसी दिनांक, समय व स्थान पर तुम सह आरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध समूह के सदस्य थे जिसका सामान्य उद्देश्य आहत सन्तोष को प्राणंतिक उपहति कारित करना ऐसी परिस्थितियों में रहा था जिससे उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी रहते जिसे अग्रसर करने में उक्त समूह के किसी कुछ या सभी सदस्यों ने बंदूक से प्राणंतिक उपहति कारित करने में उस पर फायर किये जिससे उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते जिसमें सन्तोष को उपहति कारित हुयी, जिसे तुम उक्त समूह के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया जावेगा ऐसा संभाव्य होना जानते थे।

02. यह अविवादित है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर आरोपीगण को धारा 294, 323, 323/149, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह भी अविवादित है कि आरोपी जसवंत की प्रकरण के लंबन के दौरान मृत्यु हो जाने से उसके संबंध में अपराध का उपशमन हो चुका है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 15-11-10 के 9:00 बजे अतरसिंह जाटव के मकान के सामने रास्ता में ग्राम चिनकूपुरा में फरियादी भवंरसिंह ने घायल अवस्था में संतोष एवं उसकी पत्नि बसंती ने अस्पताल आकर रिपोर्ट की कि उसकी पत्नि बसंती दुकान पर सब्जी लेने गई थी जैसे ही अतरसिंह के दरवाजे पर पहुंची तो जसवंत जाटव व हीरासिंह ने उसे घेरकर बोले मादरचोद की चूति मारी की को पकड़ लो और उसकी पकड़कर मारपीट करने लगे उसकी पत्नि चिल्लाई तो उसे बचाने उसका लडका संतोष आया तो राजेन्द्र 12 बोर बंदूक लिये, जसवंत लाठी लिये तथा हीरासिंह लाठी लिये, नवलसिंह 12 बोर बंदूक लिये, पूता लाठी लिये, सुरेश, अतरसिंह, धारासिंह सभी जाति जाटव एकराय होकर आ गये और गंदी गंदी गालियां देने लगे मना किया जो नवलसिंह ने जान से मारने की नियत से बंदूक से गोली मारी जो संतोष के दांये हाथ में लगी चोट लगकर खून आया, एक फायर राजेन्द्र ने 12 बोर बन्दूक से फायर किया जो उसके सिर में लगा खून वहने लगा इतने में सभी लोगों ने लाठियों से उसकी व उसकी पत्नि व लडका को मारने लगे जिससे उन्हें चोटें आई घटना रूबी पुत्र महावीर जाटव तथा अजय जाटव ने देखी। उक्त आशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा देहाती नालिसी लेखबद्ध की गई एवं तत्पश्चात् अप0कं0

176/10 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से कमिटल कमिट होने के उपरान्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण राजेन्द्र एवं नवलसिंह का विचारण धारा 148, 307, 323/149, 294, 506/34 भाग-2 एवं आरोपी हीरासिंह का विचारण धारा 148, 307/149, 323, 294, 506/34 भाग-2 एवं शेष आरोपीगण का विचारण धारा 148, 307/149, 323/149, 294, 506/34 भाग-2 भा0दं0वि0 के विरुद्ध उक्त धाराओं का आरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। धारा 323, 323/149, 294, 506 भाग-2 भा0दं0वि0 के संबंध में पक्षकारों के मध्य राजीनामा स्वीकार होने से आरोपीगण को उक्त धाराओं के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

05. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फसया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्षी पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 16.11.2010 को नो बजे अतरसिंह जाटव के मकान के सामने ग्राम चिनकू पुरा थाना गोहद चौक क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी भवरसिंह, संतोष एवं बसंती को उपहति कारित करने एवं हत्या के प्रयास का था सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध बंदूक से सुसज्जित थे?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा आहत संतोष को जान से मारने की नियत से इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते उस पर बंदूक से गोली चलाई गई?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत संतोष को मारकर से उपहति कारित की?
4. क्या उक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहते हुए आहत संतोष पर प्राण घातक उपहति कारित की?

### —: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 :-

07. घटना के फरियादी भवरसिंह अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि सुबह 9-10 बजे का समय था वह अपने घर पर था, उसकी पत्नी बसंती दुकान पर सब्जी लेने जा रही थी। उसे पता चला कि 6-7 लोग उसकी पत्नी की मारपीट कर रहे थे। वह पहुँचा तो उसे भी चोटें आई और संतोष को भी चोटें आई थी। वह थाने गया था, थाने पर देहातीनालसी प्र.पी. 1 लिखी गई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 में आरोपीगण का नाम लिखाने से इन्कार किया है। इस प्रकार फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोज के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

08. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना का अन्य आहत साक्षी संतोष अ0सा0 6 अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना के समय वह दरवाजे के बाहर बैठा था, उसकी माँ बसंती सब्जी लेने के लिए गई थी। जैसे ही अतरसिंह के दरवाजे के सामने पहुँची तो जसबंतसिंह और हीरासिंह ने उसे आगे से घेर लिया और माँ बसंती को गालियाँ दी और पकड़ कर मारपीट करने लग गए। उसकी माँ बसंती चिल्लाई तो वह और उसके पिता बचाने गए थे। उसके पिता को सिर में चोट आई थी और उसे हाथ में गोली लग गई थी। साक्षी घटना स्थल पर काफी भीड़ इकट्ठी होना और उसके हाथ में गोली लगना बता रहा है।

09. अभियोजन साक्षी बसंती अ0सा0 2 जिसके साथ घटना प्रारंभ होना बताया जा रहा है। साक्षिया बसंती के द्वारा केवल यह बताया गया है कि घटना दिनांक को वह सब्जी लेकर बापस घर लौट रही थी तो आरोपी के दरवाजे पर भीड़ लगी थी और इस दौरान भीड़ में धक्का लगने से वह गिर पड़ी थी और उसे चोटें आई थी। इस प्रकार उक्त साक्षिया के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षिया को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके द्वारा घटना में आरोपीगण के मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।

10. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी संतोष अ0सा0 6 के कथन का जहाँ तक



प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा उसकी माँ बसंती को अतरसिंह के दरवाजे के सामने जसबंतसिंह और हीरासिंह के द्वारा घेर लेना और उसे माँ बहन की गालियाँ देकर मारपीट करने के संबंध में आंशिक रूप से अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक उस पर प्राण घातक हमला होने एवं उसकी चोट का प्रश्न है। इस संबंध में साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि भीड़ में उसके हाथ में गोली लग गई थी। गोली किसने मारी वह देख नहीं पाया था। पिता की चोट के संबंध में भी उनकी चोट किस के द्वारा मारी गई थी यह न बता पाना वह अभिकथित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

11. जहाँ तक पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य कथन का प्रश्न है। इस संबंध में **सतपालसिंह वि० दिल्ली एडमिस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 295, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. ए.आई.आर. 1991, 1853** में यह अभिधारित किया गया है कि गवाह यदि पक्षद्रोही हो गए हो तो उसकी पूरी साक्ष्य वाशआउट या निरर्थक नहीं हो जाती। पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य कथन जिस सीमा तक अभियोजन प्रकरण का समर्थन करता है उस सीमा तक मान्य किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी माँ बसंती के साथ आरोपी जसबंत और हीरासिंह के द्वारा अश्लील गाली गलोज करने और उसे मारपीट करना साक्षी के द्वारा बताया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 294, 323, 323/149 व 506 भाग-2 भा०दं०वि० के अपराध में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। आरोपीगण जसबंत एवं हीरासिंह की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है, किन्तु घटनास्थल पर कोई विधि विरुद्ध जमाव का गठन होना अथवा उसके सदस्य उक्त आरोपीगण के रहने के संबंध में उसके साक्ष्य के आधार पर कोई पुष्टि नहीं होती है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी जसबंत की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आहता बसंती के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपी जसबंत और हीरासिंह के द्वारा उसे गाली गलोज करने अथवा उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। जबकि वह इस संबंध में पीडित पक्षकार है। ऐसी दशा में साक्षी संतोष अ०सा० 6 के कथन के आधार पर आरोपीगण हीरासिंह के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी बाबूराम अ०सा० 3, अजयसिंह अ०सा० 4, रवि अ०सा० 5 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न

पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में किसी भी बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

13. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी बी.एल.बंसल अ0सा0 6 जो कि दिनांक 15.11.2010 को थाना गोहद चौराहे पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था के द्वारा देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 फरियादी भवरसिंह के बताए अनुसार लेखबद्ध करना जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तथा उक्त दिनांक को घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 8 तैयार करना बताया है तथा आरोपी जसवंत से एक वॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 बनाया जाना एवं घटनास्थल अतरसिंह के दरवाजे से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और टी-शर्ट जिस पर गोली लगने के निशान थे वह जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 तैयार करना जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त दिनांक को ही पंजाबसिंह के कब्जे से एक लाठी रखनी बबूल की जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 तैयार करना जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त साक्षी संतोष, बसंती, रवि एवं साक्षी भवरसिंह के कथन लेखबद्ध करना व आरोपी नवलसिंह, हीरासिंह की गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 14 व 15 तैयार करना व आरोपी हीरासिंह के पेश करने पर एक वॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त आरोपी अतरसिंह, आरोपी धारासिंह को गिरफ्तार करना बताया है। आरोपी नवलसिंह से पूछताछ करने पर उसके द्वारा 12 बोर की बंदूक जो घटना में प्रयुक्त की गई उसे बक्से में रखा होना और बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेडम कथन प्र.पी. 19 है। आरोपी राजेन्द्र को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 20 का तैयार किया गया था।

14. विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर जबकि घटना के आहतगण एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। विवेचना के कथनों के आधार पर जो कि उनके द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है उससे अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

15. राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी1 के अनुसार परीक्षित किये गए बंदूक ए1 को फैक्ट्री निर्मित बन्दूक होना पाया गया है जो कि चालू हालत में होनी बताई गई है और कारतूसों को भी जीवित होना पाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त जप्तशुदा बंदूक राजेन्द्रप्रसाद की लाइसेंसी बंदूक है। उक्त बंदूक के अंतिम बार

फायर किया जाने के संबंध में भी कोई अभिमत रिपोर्ट में नहीं है। परीक्षण हेतु भेजा गया जर्सी में पाए गए छिद्र का जहाँ तक प्रश्न है, परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह छिद्र लेकप्रोजेक्टाइल से हुआ है, किन्तु ऐसा कहीं भी साक्षी में नहीं आया है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा कोई गाली चलाई गई हो जिससे कि उक्त छिद्र जर्सी में आया हो। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी2 जिसमें कि घटनास्थल की मिट्टी एवं टी-शर्ट पर रक्त होना पाया गया है और टी-शर्ट में मानव रक्त होना पाया गया है। उसके आधार पर आरोपीगण को अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपीगण राजेन्द्र, नवलसिंह को धारा 148, 307 भा0दं0वि0 के आरोध से दोषमुक्त किया जाता है एवं शेष आरोपीगण हीरासिंह, पूता उर्फ पंजाबसिंह, अतरसिंह, सुरेश और धारासिंह को धारा 148, 307/149 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा 12बोर की एकनाली बंदूक जिसका नम्बर 2383 एवं दो जिन्दा कारतूस एवं एक आर्म्स लाइसेंस नम्बर MP/BHD/1/242/98B जो कि राजेन्द्रप्रसाद से जप्त है। उपरोक्त संबंध में राजेन्द्रप्रसाद के द्वारा वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश करने पर अपील पश्चात् करने के पश्चात् बापस की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा तीन लाठियाँ, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं एक टी-शर्ट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड